

प्रपत्र-23

परियोजना का नाम :- तिलवाड़ा नगर पंचायत पेयजल योजना

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम तिलवाड़ा
तहसील रूड़पुरा, जिला रूड़पुरा

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद रूड़पुरा के अन्तर्गत तिलवाड़ा नगर पंचायत परियोजना के निर्माण हेतु (0.274 हे० आरक्षित वन भूमि, — हे० सिविल सोयम भूमि..... हे०, वन पंचायत भूमि 0.96 हे०) अर्थात् कुल 1.24 हे० वन भूमि का उत्तराखण्ड पेयजल निगम रूड़पुरा विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत तिलवाड़ा नगर पंचायत द्वारा दिनांक 01.01.2010 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम तिलवाड़ा नगर पंचायत के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि उ० पेयजल निगम प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह० / —
ग्राम सचिव
तिलवाड़ा
जनपद रूड़पुरा

ह० / —
ग्राम प्रधान/अधिकारी
तिलवाड़ा
जनपद रूड़पुरा

नोट :- * यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।
उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

प्रपत्र-23.1

दिनांक 05/11/20 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत तिलवाड़ा नगर पंचायत

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	मदीप सिंह मंडावी वार्ड नं० 2 (गीड भुतेर) 8979691468	सदस्य <u>मदीप सिंह</u> नगर पंचायत तिलवाड़ा वार्ड नं०-2 (गीड भुतेर) जनपद रुद्रप्रयाग
2	शशी देवी वार्ड नं० 4 (हटौली मटियाणा) 9759228820	सदस्य <u>शशी देवी</u> नगर पंचायत तिलवाड़ा वार्ड नं०-4 जनपद रुद्रप्रयाग
3	संजय शर्मा वार्ड नं०-1 (शानपुर) 9627457220	सदस्य <u>संजय शर्मा</u> वार्ड नं०-01 नगर पंचायत तिलवाड़ा जनपद रुद्रप्रयाग
④	चांदनी देवी वार्ड नं० 3 (तिलवाड़ा) 7830282874	सदस्य <u>चांदनी</u> नगर पंचायत तिलवाड़ा वार्ड नं०-3

ह0
नगर प्रमुख
नगर प्रमुख
जनपद-रुद्रप्रयाग

प्रपत्र-23.2

परियोजना का नाम :- तिलवाड़ा नगर पंचायत

कार्यालय उप जिलाधिकारी, रुड़पुरा
 अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत
 प्रमाण-पत्र
 उपखण्ड स्तरीय समिति, तिलवाड़ा

उपखण्ड रुड़पुरा परिक्षेत्र के अन्तर्गत तिलवाड़ा नगर पंचायत
 (0.24 हे० आरक्षित वन भूमि, — हे० सिविल एवं सोयम वन भूमि 0.16 हे०
 वन पंचायत भूमि, अर्थात् कुल 1.24 हे० वन भूमि) का
उ० प्र० जल निगम रुड़पुरा प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित
 जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के
 अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील रुड़पुरा) की दिनांक 05/10/2019 को
 सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता)
 अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक
 श्री वजेश कुमार शर्मा उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की
 अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

- 1- श्री वजेश कुमार शर्मा उप जिलाधिकारी रुड़पुरा अध्यक्ष
- 2- श्री सुरेश कुमार शर्मा उप प्रभागीय वनाधिकारी रुड़पुरा सदस्य
- 3- श्री इश्वर चन्द्र शर्मा सहायक समाज कल्याण अधिकारी रुड़पुरा सदस्य/सचिव
- 4- श्रीमती सेनू जगवान बी०डी०सी० क्षेत्र उगाहा मुनी सदस्य

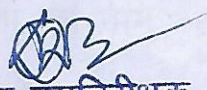
उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी
 की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया
 कि तिलवाड़ा नगर पंचायत के देवोरे

परियोजना हेतु 1.24 हे० वन
 भूमि

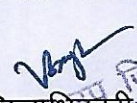
उत्तराखण्ड प्रान्त तिलवाड़ा
 प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों
 के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त
 भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग
 हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, रुड़पुरा द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य
 परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008
 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन
 अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया
 है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में
 उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

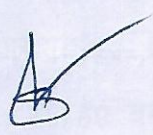
बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड ~~विशाल~~ परिक्षेत्र के अन्तर्गत
 उत्तराखण्ड पेयजल निगम रुद्रप्रयाग परियोजना के निर्माण हेतु 1:24.....
 हे० वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर
 प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

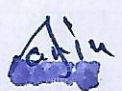

 राजस्व उपनिरीक्षक
 रुद्रप्रयाग
 तह० / जिला-रुद्रप्रयाग

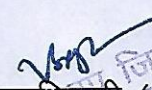

 28/09/19
 तहसील
 रुद्रप्रयाग

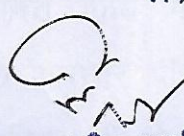

 उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
 उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
 तहसील-.....
 जनपद-.....

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग..... को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


 सहायक संचालक कल्याण विभाग
 विभाग सचिव सहायक सचिव
 रुद्रप्रयाग


 सहायक संचालक विभाग
 रुद्रप्रयाग


 उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
 उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
 तहसील-.....
 जनपद-.....

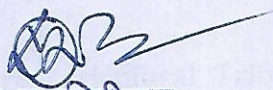

 उप प्रभागीय वनाधिकारी
 रुद्रप्रयाग वन प्रभाग

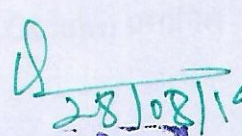
प्रपत्र-23.3

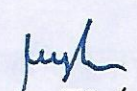
परियोजना का नाम :- तिलवाड़ा नगर पंचायत पेयजल योजना

जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र

जनपद-रूद्रप्रयाग के अन्तर्गत वन भूमि पर ^{तिलवाड़ा नगर पंचायत} प्रस्तावित.....परियोजना के निर्माण हेतु 1:234 हे० वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष, उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति रूद्रप्रयाग तथा सम्बन्धित ग्राम सभाओं द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किये गये हैं। वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत व संलग्न प्रमाण-पत्रों के अनुसार परियोजना के निर्माण में किसी अनुसूचित जनजाति व वनवासी की भूमि अधिग्रहित नहीं हो रही है व न ही किसी जनजाति/वनवासी के वनों पर अधिकार प्रभावित हो रहे हैं। परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाली वन भूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं है।


राजस्व उपनिरीक्षक
रूद्रप्रयाग
तह०/जिला-रूद्रप्रयाग


28/08/19
तहसीलदार
रूद्रप्रयाग


ह०/-
जिलाधिकारी
रूद्रप्रयाग

नोट :- उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

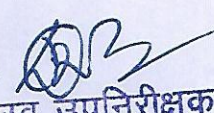
सड़क निर्माण, नहर निर्माण, पारेषण लाईन, ओ०एफ०सी० केबिल, पाईपलाईन बिछाने आदि प्रयोजनों को भारत सरकार द्वारा वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों से मुक्त कर दिया गया है। उक्त प्रकरणों में प्रमाण-पत्र संख्या 23, 23.1, 23.2 व 23.3 प्रस्ताव के साथ संलग्न नहीं किये जाने हैं। उक्त प्रयोजनों हेतु तैयार किये गये वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों के साथ जिलाधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र संख्या 23.4 संलग्न किया जायेगा।

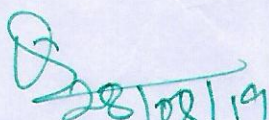
प्रपत्र-23.4

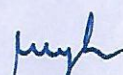
परियोजना का नाम :- तिलवाड़ा जंगल पेन्चायत प्रयोजन योजना

जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र

जनपद रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत प्रस्तावित तिलवाड़ा जंगल पेन्चायत ^{पे० २}
परियोजना के निर्माण हेतु १.२५ ~~०.२५~~ हे० वन भूमि पेम्बल जिला (प्रयोक्ता एजेन्सी) को
प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन
मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र संख्या 11-9/98-एफ०सी० दिनांक 05-02-2013 के द्वारा
रेखाकार (linear) प्रयोजनों यथा-सड़क, नहर, पारेषण लाईन, ओ०एफ०सी० केबिल व
पाईपलाईन बिछाने आदि के प्रकरणों को वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों से
मुक्त किया गया है। विषयगत परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन व कृषि भूमि पर
आदिकालीन जनजाति समूह (Primitive Tribal Groups) व आदिकालीन कृषि समुदाय
(Pre Agricultural Tribal Groups) प्रभावित नहीं हो रहे हैं।


राजस्व उपनिरीक्षक
रुद्रप्रयाग
तह०/जिला-रुद्रप्रयाग


तहसीलदार
रुद्रप्रयाग


ह०/-
जिलाधिकारी
जिला अधिकारी
रुद्रप्रयाग